

परिपत्र संख्या-विधि-2-(1)-फार्म मिसिंग-(5)-(2013-2014) 622/1415058/ वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(विधि अनुभाग)

दिनांक:: लखनऊ:: जुलाई 28 ,2014

-:विज्ञप्ति :-

विषय:- फार्म मिसिंग के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली 1948 के नियम-12बी (20) एवं 25बी (12) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा 81 को दृष्टिगत रखते हुये सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यापारियों से उनके नाम के सम्मुख निम्नलिखित फार्म मिसिंग की सूचना प्राप्त हुई है। अतः इन फार्मों का प्रयोग अवैध होगा :-

क्रमांक	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	फार्म का प्रकार/संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1	2	3	4	5
1-	सर्वश्री कौशल रेडीमेड स्टोर, रेलवे रोड, अलीगढ़। टिन-09425601167	फार्म-एफ 280850 से 280851	खोने के कारण	02
2-	सर्वश्री राजपूत रोलर फ्लोर मिल्स लि0 इण्ड0 एरिया, मुमताजनगर, फैजाबाद। टिन-09921800894	फार्म-3 ख 088158 व 088425	खोने के कारण	02
3-		फार्म-एफ 02N-055002, 055003 से 055004	खोने के कारण	03

(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, 30प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें।
- 2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 4- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, 171ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।

- 5- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य पालक) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 7- समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/ अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 9- ज्वाइण्ट कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद, लखनऊ।
- 10- समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हो।
- 11- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 12- सूचना केन्द्र को 5 अतिरिक्त प्रतियां।
- 13- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को 5 प्रतियां एवं विधि अनुभाग को 15 अतिरिक्त प्रतियां

(अजय प्रताप सिंह)

डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय।